कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 195/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-31.05.2025 को **थाना देवगांव पुलिस द्वारा 24 घण्टें के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित सभी 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**

थाना-देवगांव

24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण, वांछित सभी 04 अभियुक्तों (01 महिला व 03 पुरुष) को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

आवेदक **सत्यम सेठ पुत्र राजू सेठ, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़** के द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि **दिनांक 29.05.2025** को आवेदक के भाई **आदित्य सेठ, उम्र करीब 20 वर्ष** को दुकान पर सामान लेते समय कहासुनी हो जाने के कारण अभियुक्तों द्वारा नुकीले धारदार वस्तु से मारा गया, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 185/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0** बनाम अभियुक्तगण

1.सनोहर चौरसिया पुत्र स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष
2.मनोहर चौरसिया पुत्र स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष
3.सर्वेश चौरसिया उर्फ नन्दू पुत्र स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष
4.सुनीता देवी पत्नी स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 30.05.2025 को **प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह** द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित चारों अभियुक्तों **1. सर्वेश चौरसिया उर्फ नन्दू 2. मनोहर चौरसिया 3. सनोहर चौरसिया पुत्रगण स्व0 कालिदास 4.सुनीता चौरसिया पत्नी स्व0 कालिदास समस्त निवासीगण कस्बा देवगाव (मिर्जापुर) थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़** को लालगंज मसीरपुर कट हाईवे **से समय करीब 17.20 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त सनोहर चौरसिया से पूछताछ किया गया तो बताया कि दिनांक 29.05.2025 को समय करीब रात्रि 09.00 बजे मैं दुकान पर बैठा था और वहीं पर मनोहर चौरसिया, सर्वेश चौरसिया उर्फ नन्दू व सुनीता देवी भी बैठी थी। उसी समय आदित्य सेठ पुत्र स्व0 राजू सेठ निवासी कस्बा देवगांव मिर्जापुर थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ दुकान पर सामान लेने आया। जिससे मैने पूर्व का बकाया रूपया मांगने लगा, इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आदित्य सेठ से हम लोगों की इसी बकाया रूपये को लेकर पुरानी रंजिश भी थी, जिससे हम लोग मौके के तलाश में थे तथा घटना वाले दिन हम लोगों को मौका मिल गया। मौके पर मौजूद हम सभी ने मिलकर आदित्य सेठ को लात-घूसा, लाठी डन्डा से मारने लगे। उसी बीच आदित्य सेठ को जान से मारने की नियत से सभी के ललकारने पर सर्वेश चौरसिया ने मौका देखकर दुकान से चाकू निकालकर लेकर आया और आदित्य सेठ के शरीर पर वार कर दिया, जिससे आदित्य सेठ वहीं पर गिर गया। लोगों की भीड़ आता देखकर चाकू को सर्वेश चौरसिया ने अपने दुकान में ही छिपा दिया और हम सभी लोग मौके से भाग गये।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.सनोहर चौरसिया पुत्र स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष
2.मनोहर चौरसिया पुत्र स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष
3.सर्वेश चौरसिया उर्फ नन्दू पुत्र स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष
4.सुनीता देवी पत्नी स्व0 कालीदास चौरसिया, निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01.प्र0नि0 विमल प्रकाश राय थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
02.म0उ0नि0 आकांक्षा पाण्डेय थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
03.हे0का0 ओमप्रकाश सिंह थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
04.का0 ऋषभ शुक्ला थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
05.का0 शिवम तिवारी थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़